छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर- 492002

क्र./I/743924/2026/109092/AGRSCH-507/1/2025-Ag.Sec.(T) रायपुर दिनांक 12-11-2026

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।**
2. **संचालक कृषि, छ.ग रायपुर।**
3. **संचालक खाद्य, छ.ग. रायपुर।**
4. **संचालक, भू-अभिलेख, छ.ग. रायपुर।**
5. **पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छ.ग. रायपुर।**
6. **प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या (मार्कफेड), रायपुर।**
7. **प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि.रायपुर।**
8. **समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।**
9. **प्रबंध संचालक,छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. (अपेक्स), रायपुर।**
10. **राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), मंत्रालय।**
11. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.।**

विषयः- खरीफ 2026 से ''कृषक उन्नति योजना'' के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भः- विभागीय पत्र क्र./109092/AGRSCH-507/1/2025-Ag.Sec.(T) दिनांक18.06.2026।

--00--

राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिये खरीफ वर्ष 2023-24 से **"कृषक उन्नति योजना"** प्रारंभ करते हुए निरंतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनांतर्गत खरीफ **2026** में बोये गए धान से विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित बोये गये रकबे हेतु प्रति एकड़ समान रूप से आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ग्रीष्मकाल में बोये गये धान हेतु यह योजना लागू नहीं होगी। इस परिपेक्ष्य में विभागीय पत्र क्र./109092/AGRSCH-507/1/2025-Ag.Sec.(T) दिनांक 18.06.2026 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में केवल उपार्जित धान/धान बीज हेतु कृषकों को आदान सहायता राशि दिये जाने निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, अन्य फसलों के प्रोत्साहन हेतु दिनांक 18-06-2026 को जारी दिशा निर्देश पूर्ववत रहेंगे :-

1. योजना का नामः- कृषक उन्नति योजना

2. क्रियान्वयन वर्षः- नवीन दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना खरीफ वर्ष 2026 से लागू होगा।

3. योजना का क्षेत्रः- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले।

4. योजना का उद्देश्यः-

4.1 फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

4.2 फसल की कास्त लागत में कमी लाकर कृषको की आय में वृद्धि तथा उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार।

4.3 कृषको द्वारा उन्नत बीज, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन, कृषि

यांत्रिकीकरण सहित नवीन कृषि तकनीकी में निवेश को प्रोत्साहन।
4.4 बाजारोन्मुखी फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए कृषि को लाभ के व्यवसाय के रुप में पुर्नस्थापित करना।

5. हितग्राही की पात्रताः-

5.1 खरीफ वर्ष 2026-27 में खाद्य विभाग के पोर्टल https://fcs.cg.gov.in/पर उपलब्ध लिंक https://cgpaddyonline.co.in/में पंजीकृत ऐसे समस्त कृषक जिनसे मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों /लैम्पस के माध्यम से धान उपार्जन किया गया हो, अथवा छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था मे धान बीज उत्पादन हेतु पंजीकृत ऐसे कृषक जिनसे बीज निगम द्वारा धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उपार्जित मात्रा से संबंधित बोये गये रकबे के लिए कृषक उन्नति योजनान्तर्गत लाभ हेतु पात्र होंगे।
5.2 योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए Agristack में कृषक का पंजीयन होना अनिवार्य है ।
5.3 कृषक द्वारा बोये गए रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) मे होने के उपरांत ही पुष्टि किए गए रकबे हेतु योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
5.4 विधिक व्यक्तियों यथा ट्रस्ट/मण्डल/प्राईवेट लिमि. कंपनी/शाला विकास समिति/केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान/महाविद्यालय आदि संस्थाओं को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।
5.5 जो कृषक प्रमाणित धान बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते है और सामान्य धान भी सहकारी समितियों मे विक्रय करते है, उनके द्वारा कुल विक्रय की जाने वाली धान की मात्रा, उनके कुल धारित रकबे की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये। इसे धान उपार्जन से संबंधित पोर्टल https://cgpaddyonline.co.in/ और छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. में उपलब्ध डाटा से मिलान के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
5.6 कृषको को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानो के अध्याधीन किया जाएगा।

6. कृषको को भुगतानः-

6.1 योजनान्तर्गत आदान सहायता राशि का प्रदाय कृषकों के आधार लिंक्ड बैंक खाते जिसका विवरण कृषक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से किया जावेगा।
6.2 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (लैम्पस सहित) / छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. (बीज निगम) को धान/ धान बीज का विक्रय करने वाले कृषकों को देय आदान सहायता राशि का निर्धारण उपरोक्त संस्थाओं को विक्रय धान / धान बीज से संबंधित बोये गए रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में सत्यापन तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर प्रतिवर्ष पृथक से किया जाएगा।
6.3 योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल https://cgpaddyonline.co.in/ के माध्यम से उपार्जित धान तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित बोये गए रकबे पर प्रति एकड़ की दर से किसानों को एक समान रूप से आदान सहायता राशि का निर्धारण निम्न सूत्र के आधार पर किया जावेगा-
[रु.3100 - कॉमन ग्रेड धान हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP रु.2441 प्रति क्विंटल)] X उपार्जन हेतु प्रति क्विंटल निर्धारित अधिकतम मात्रा 21 क्विंटल = प्रति एकड़

आदान सहायता राशि
उपरोक्त सूत्र के आधार पर प्रति एकड़ आदान सहायता राशि निम्नानुसार प्राप्त होगी:-
(3100-2441) X 21
(659) X 21= **रु. 13839 प्रति एकड़** ।

उदाहरण 1 :– यदि किसी कृषक से 2.7 एकड़ का धान/धान बीज उपार्जित किया गया हो तो प्रति एकड़ निर्धारित आदान सहायता राशि निम्नानुसार होगी :-
13839 X 2.7 = **रु. 37365.30**

उदाहरण 2 :– यदि किसी कृषक से 0.3 एकड़ का धान/धान बीज उपार्जित किया गया हो तो प्रति एकड़ निर्धारित आदान सहायता राशि निम्नानुसार होगी :-
13839 X 0.3 = **रु. 4151.70**

उपरोक्त के संबंध मे स्पष्ट किया जाता है की यदि किसी कृषक द्वारा प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम मात्रा 21 क्विंटल से कम मात्रा मे धान/धान बीज उपार्जन हेतु उपलब्ध कराया जाता है तो भी उसे प्रति एकड़ आदान सहायता राशि निर्धारित अधिकतम उपार्जन मात्रा (21 क्विंटल) के समतुल्य ही प्राप्त होगी।
उदाहरण (अ): यदि किसी कृषक द्वारा एक एकड़ क्षेत्र मे धान बोया गया हो, तो वह 21 क्विंटल धान/धान बीज उपार्जन हेतु सहकारी समिति (लैम्पस सहित)/ बीज निगम को विक्रय हेतु पात्र होगा। किन्तु यदि कृषक द्वारा केवल 15 क्विंटल धान का ही उपार्जन हेतु विक्रय किया जाता है तो भी उसे बोए गए धान के रकबे हेतु प्रति एकड़ निर्धारित आदान सहायता राशि रु. 13839 के मान से कुल रु. 13839 (1.0 X 13839 = 13839) प्राप्त होगी।

उदाहरण (ब): यदि किसी कृषक द्वारा 2.5 एकड़ क्षेत्र मे धान बोया गया हो तो बोए गए क्षेत्र के अनुपात मे अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से उसकी अधिकतम विक्रय सीमा 52.5 क्विंटल (2.5 X 21=52.5 क्विंटल) होगी। किन्तु यदि कृषक द्वारा बोए गए धान के सम्पूर्ण रकबे से केवल 38 क्विंटल का ही धान/धान बीज उपार्जन हेतु विक्रय किया जाता है तो भी उसे बोए गए धान के रकबे हेतु प्रति एकड़ निर्धारित आदान सहायता राशि रु. 13839 के मान से कुल रु. 34597.50 (2.5 X 13839 = 34597.50) प्राप्त होगी।

उदाहरण (स्): यदि किसी कृषक द्वारा 0.8 एकड़ क्षेत्र मे धान बोया गया हो तो बोए गए क्षेत्र के अनुपात मे अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से उसकी अधिकतम विक्रय सीमा 16.80 क्विंटल (0.8 X 21=16.80 क्विंटल) होगी। किन्तु यदि कृषक द्वारा बोए गए धान के सम्पूर्ण रकबे से केवल 15 क्विंटल का ही धान/धान बीज उपार्जन हेतु विक्रय किया जाता है तो भी उसे बोए गए धान के रकबे हेतु प्रति एकड़ निर्धारित आदान सहायता राशि रु. 13839 के मान से कुल रु.11071.20 (0.8 X 13839 = 11071.20) प्राप्त होगी।

6.4 जिन क्षेत्रों में रकबे की पुष्टि हेतु डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर आदान सहायता राशि दी जाएगी।
6.5 किसी भी कृषक को पात्रता से अधिक भुगतान होने की स्थिति में संबधित कृषक से

राशि वसूल की जा सकेगी।

7. योजना का क्रियान्वयनः-

7.1 पंजीकृत कृषकों से खरीफ मौसम में सहकारी समितियों/लैम्पस द्वारा उपार्जित धान के बोये गये रकबे पर निर्धारित आदान सहायता राशि का कृषकों को वितरण (बिन्दु क्र. 6.1 एवं 6.2 में उल्लेखित प्रक्रिया से) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.(मार्कफेड) द्वारा किया जाएगा तथा आदान सहायता राशि के व्यय से संबंधित विस्तृत लेखा-जोखा के संधारण का दायित्व भी प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.(मार्कफेड) का होगा।

7.2 कृषक द्वारा धान विक्रय धान खरीदी से संबंधित पोर्टल पर टोकन जारी करने के समय ही कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जाएगा । प्रारूप का निर्धारण एवं पोर्टल पर इस बाबत प्रावधान खाद्य विभाग द्वारा किया जायेगा ।

7.3 ऐसे कृषक जिन्होंने खरीफ 2025-26 में धान विक्रय नहीं किया था, तथा वर्ष 2026-27 उपार्जन अवधि मे विक्रय हेतु धान लाया जाता है, उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा कराया जायेगा ।

7.4 बीज उत्पादक कृषकों से छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपार्जित धान बीज के बोये गये रकबे पर निर्धारित आदान सहायता राशि की कृषकवार मांग का विवरण बीज निगम द्वारा संचालक कृषि को प्रेषित किया जाएगा। संचालक कृषि द्वारा मांग अनुसार राशि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका कृषकों को प्रदाय बिन्दु क्र. 6.1 एवं 6.2 में उल्लेखित प्रक्रिया से किया जायेगा।

बीज उत्पादक कृषको से उपार्जित धान बीज पर प्रदायित आदान सहायता राशि के विस्तृत लेखा-जोखा के संधारण का दायित्व प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. का होगा।

7.5 प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर संचालक कृषि को प्रेषित किया जाए। संचालक कृषि से प्राप्त राशि में से आदान सहायता राशि के भुगतान उपरांत यदि कोई, राशि शेष रह जाये, तो उसे तत्काल राज्य सरकार को वापस किया जाएगा।

8. निरीक्षण एवं अनुश्रवणः- योजना के क्रियान्वयन एवं नियमित समीक्षा संचालक कृषि के द्वारा की जायेगी तथा कृषकों को पात्रता अनुसार आदान सहायता राशि के एकमुश्त भुगतान की जवाबदारी भी उन्हीं की होगी।

9. वित्तीय आलिप्ति एवं व्यय का लेखा शीर्षः- योजना अंतर्गत होने वाला व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा-

(i) मांग संख्या 13, 2401-कृषि कार्य, 102-खाद्यान्नों की फसलें, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (7054)-कृषक उन्नति योजना # 14-सहायक अनुदान, 012-अन्य अनुदान

(ii) मांग संख्या 41-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 2401-कृषि कार्य, 102-खाद्यान्नों की फसलें, 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (7054)-कृषक उन्नति योजना # 14-सहायक अनुदान, 012-अन्य अनुदान

(iii) मांग संख्या 64-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 2401-कृषि कार्य, 102-खाद्यान्नों की

फसलें, 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना (7054)-कृषक उन्नति योजना # 14-सहायक अनुदान, 012-अन्य अनुदान

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 12-11-2026
11:19:18

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ. क्र./I/743924/2026/109092/AGRSCH-507/1/2025-Ag.Sec.(T) रायपुर दिनांक 12-11-2026

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन।
2. माननीय मंत्रीजी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छ.ग. शासन।
3. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, सहकारिता विभाग, छ.ग. शासन।
4. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छ.ग. शासन।
5. मुख्य सचिव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग.शासन।
6. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन।
7. निज सहायक, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग।
8. निज सहायक, सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
9. निज सहायक, सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
10. निज सहायक, सचिव, छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग।
11. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
12. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. रायपुर छ.ग.।

(हस्ता/-)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग